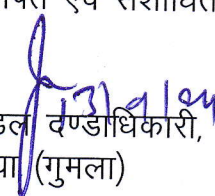
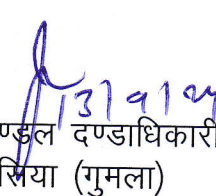


आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अभिलेख उपस्थापित :- थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 02/2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष :- (1) बिनु महतो उम्र करीब 35 वर्ष पिता- स्व० धनश्याम साव, ग्राम-पालकोट (2) महाबीर प्रसाद साहु उम्र 45 वर्ष पिता- घुरन साहु ग्राम- कोयंजाली थाना- पालकोट जिला- गुमला द्वितीय पक्ष :- (1) विजय महतो उम्र करीब 35 वर्ष पिता- स्व० बहुरा महतो ग्राम- गाँधी नगर (2) अशोक साहु उम्र 37 वर्ष पिता- स्व० गोन्दल साहु ग्राम- पालकोट, तेलीटोली (3) अर्जुन महतो उम्र करीब 50 वर्ष पिता- स्व० रामनाथ महतो (4) देवानन्द महतो उम्र करीब 37 वर्ष पिता- स्व० दिनेश महतो दोनों ग्राम- पालकोट (5) रमेश प्रसाद उम्र करीब 46 वर्ष पिता- स्व० चंदन प्रसाद ग्राम-चैनपुर, टेंगरिया थाना- पालकोट जिला- गुमला के बीच भूमि संबंधित विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक <u>13/09/2024</u> को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	